न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/ अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।

उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

UPET010006612010

जी०एस०टी० संख्या–124/2010

उ०प्र० राज्य

----------अभियोजन पक्ष

–बनाम–

1– मालिक हुसैन पुत्र रम्पू **------(मृतक–दौरान–विचारण)**

2– आले हसन पुत्र मालिक हुसैन

निवासीगण मौहल्ला शेखान, थाना निधौलीकलां, जिला एटा।

हाल पता मुहल्ला गंगानगर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा।

----------अभियुक्तगण

अपराध संख्या–760/2009

आरोप पत्र की धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना–कोतवाली देहात, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी०एस०टी० संख्या	124/2010
अपराध संख्या	760/2009
धारा	2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना	कोतवाली देहात
अभियुक्त	आले हसन
प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री आलोक कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता
घटना की तिथि	15–11–2009
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	15–11–2009
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या–18/2010, दिनांक 13–01–2010
प्रसंज्ञान की तिथि	10–02–2010
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	15–10–2022
निर्णय की तिथि	07–08–2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.08.07 16:39:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

–निर्णय–

1– जी०एस०टी० संख्या–124/2010, राज्य बनाम मालिक हुसैन आदि, अ०सं०–760/2009, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा में अभियुक्त आले हसन का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस०ओ० इन्द्रेश कुमार भदौरिया, थाना कोतवाली देहात ने फर्द बरामदगी दिनांक 15.11.2009 को थाना कोतवाली देहात में दी, जो निम्नवत् है:–

दिनांक 15.11.2009 को वह थानाध्यक्ष इन्द्रेश कुमार भदौरिया मय कां० 174 अब्दल शमद, कां० 786 सुरेन्द्र सिंह मय सरकारी का० 952 योगेन्द्र शर्मा के थाने से बहवाले रपट नं० 37, समय 16:30 बजे रवाना होकर रेलवे ओवर ब्रिज पार करके जी०टी० रोड पर जा रहे थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि यहां थोडी दूर पर मौहल्ला गंगानगर जी०टी० रोड पर स्थिति मालिक हुसैन कबाड़ी का एक गिरोह है, जो चोरी की गाड़ियां शराब का कारोबार भी करते है तथा ग्राहको को नकली मिलावटी जहरीली शराब बिक्री करते है। इस समय इनके पास एक सीलो कार तथा भारी मात्रा में नकली मिलावटी शराब है, कहीं जाने की फिराक में है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके असनाहें राह से जनता के गवाहन फराहम करने का प्रयास किया तो आपसी भलाई–बुराई के कारण कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ कि व हालत मजबूरी मय मुखबिर व हमराही कर्मचारी तथा जीप में मुखविर के बताए स्थान पर पहुंचे कि मुखविर इशारा करके चला गया कि जीप सरकारी मय कां० 990 योगेन्द्र शर्मा को बाहर छोड़कर आगे बढ़ा तो देखा कि एक लाल रंग की सीलो कार में एक व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर बैठा है तथा दूसरा व्यक्ति पीछे वाली सीट पर बैठा है। दोनों ने हम पुलिस वालों को देखकर गाड़ी स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया कि वहीं पर समय 17.10 पी०एम० पर मय सीलो कार उपरोक्त में दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया तथा नाम पता पूंछते और जामा तलाशी ली गयी तो ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मालिक हुसैन पुत्र रम्पू निवासी मौहल्ला शेखान, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा, हाल मौहल्ला गंगानगर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बताया की जामा तलाशी से ड्राइविंग सीट के पास रखी एक हरे रंग के ब्लेडर में भरी करीब 10 लीटर नकली मिलावटी तथा जहरीली शराब भरी है तथा दूसरे ने अपना नाम आले हसन पुत्र मालिक हुसैन निवासी मौहल्ला शेखान, थाना निधौलीकलां, जिला एटा हाल पता मौहल्ला गंगानगर, थाना कोतवाली देहात, जिला एटा बताया है, के कब्जे से एक हरे रंग के ब्लेडर में करीब 10 लीटर नकली मिलावटी शराब बरामद हुई तथा बरामद शराब को खुद देखा तथा सुंघा व हमराही कर्मचारी को दिखाया तथा सुंघाया तो नकली मिलावटी शराब है तथा दोनों अभियुक्तगण से बरामद सीलो कार के कागजात तलब किये तो नहीं दिखा सके तथा अपनी गलती की मांफी मांगते हुए बताया कि साहब हम लोग चोरी की गाड़ियों को सस्ते दामों में खरीदकर उसके असली नम्बर मिटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व फर्जी कागजों से जनता के लोगों को महंगी कीमत में बेच देते है। अभियुक्तगण से बरामद सीलो कार व रंग लाल जिसकी आर०सी नम्बर UP81F9128 तथा इंजन नम्बर की जगह G15MF901858 तथा चैसिस नं० की जगह 19TA03A–26032 नम्बर की प्लेट लगी है। अभियुक्तों से बरामद शराब दो ब्लेडर तथा कार सीलो उपरोक्त को कब्जा पुलिस में लिया गया। इनका यह जुर्म धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा धारा 272, 273, 420 भा०दं०सं० तथा 41/102 दं०प्र०सं० व धारा 411 भा०दं०सं० की हद को पहुंचता है तथा अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जो अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के लिए आर्थिक लाभ अपराध करके अर्जित करते है, जो धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तगर्त दण्डनीय अपराध है, से अवगत कराकर हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामद दोनो ब्लेडर शराब के मुंह अलग–अलग धागों से बांधकर सील मुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सुचना थाना के द्वारा उचित माध्यम मुल्जिमान के घर पर दी जायेगी तथा दौराने गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगो से गवाही हेतु कहा गया तो आपसी भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द मुझ एस०ओ० द्वारा लिखकर हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर गवाही बनवाए जाते है।

3– फर्द बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात, जिला एटा में दिनांक 15.11.2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, मु०अ०सं०–757/2009, धारा 60 आबकारी अधिनियम, अ०सं०–758/2009, धारा 60 आबकारी अधिनियम, अ०सं० 759/2009, धारा 272,273,420 भा०दं०सं०, अ०सं० निल/2009, धारा 41/102 दं०प्र०सं० व धारा 411 भा०दं०सं०, अ०सं०–760/2009, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम मालिक हुसैन एवं आले हसन के विरूद्ध दर्ज की गयी, जिसका खुलासा जी०डी० रपट नं0–44, समय 19:15 **प्रदर्श क–3** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्त मालिक हुसैन एवं आले हसन के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–6** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र **प्रदर्श क–5**, दिनांकित 13.01.2010 विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट), आगरा द्वारा दिनांक 10.02.2010 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्त मालिक हुसैन एवं आले हसन के विरूद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 15.10.2022 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्त द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मालिक हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण आदेश दिनांकित 10.08.2021 के माध्यम से उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी।

7– अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 3 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1	एस०ओ० इन्द्रेश कुमार भदौरिया	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2	उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह	एच०एम०
अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–3	सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	विवेचक

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं०	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू०–1 वादी इन्द्रेश कुमार भदौरिया
2	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह
3	जी०डी०	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय
5	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद

	आदेश		पाण्डेय

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 27.07.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षी पी०डब्लू०–1 के कथानक को गलत बताया है। पी०डब्लू०–2 के कथानक को प्रशासन के दबाव में चिक एफ०आई०आर० करना बताया है। पी०डब्लू०–3 के कथानक को गलत विवेचना कर आरोप पत्र लगाना बताया है। साक्षीगण के साक्ष्य के सम्बन्ध में प्रशासन के दबाव में गवाही देना कहा है। अभियोग को गलतफहमी के कारण चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए स्वंय को निर्दोष व झूंठा फंसाया जाना बताया है।

10– अभियुक्त की ओर से सफाई साक्ष्य में गैंगचार्ट में वर्णित अ०सं०–759/2009 अन्तर्गत धारा 420, 272, 273 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली देहात, एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–203/2011 में पारित निर्णयादेश दिनांकित 03–01–2026 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 70 ब/3 लगायत 70 ब/11 दाखिल किया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी०डब्लू०–1 वादी इन्द्रेश कुमार भदौरिया** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15–11–2009 को वह थाना कोतवाली देहात, एटा पर बतौर थानाध्यक्ष तैनात था। उस दिन थाने से बहवाले रपट नं०–37 समय 16:30 बजे रवाना होकर कां० अब्दुल समद, कां० सुरेन्द्र सिंह, कां० योगेन्द्र शर्मा के साथ रेलवे ओवर ब्रिज पार करके जी०टी० रोड पर जा रहे थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि यहां से थोड़ी दूर पर मौहल्ला गंगानगर जी०टी० रोड पर मालिक हुसैन कबाड़ी का एक संगठित गिरोह है, जो चोरी की गाड़ियां कम दामों पर खरीद कर उनकी नम्बर प्लेटों के नम्बर मिटाकर तथा उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर अधिक रूपये में बेचते हैं। इसके साथ ही अवैध नकली शराब का कारोबार भी करते हैं तथा ग्राहकों को नकली मिलावटी, जहरीली शराब बिक्री करते हैं। इस समय इनके पास सीलो कार तथा भारी मात्रा में नकली मिलावटी शराब है। कही जाने की फिराक में हैं, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके असनायें राह से जनता के गवाह फराम करने की कोशिश की गयी, तो कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ कि मजबूरी में मय मुखबिर व हमराही कर्मचारीगण के मुखबिर के बताये स्थान पर जीप सरकारी से पहुंचे कि मुखबिर इशारा कर जीप से उतर कर चला गया। जीप सरकारी पर योगेन्द्र शर्मा कांस्टेबिल को छोड़कर आगे बढ़ा तो देखा की एक लाल रंग की सीलो कार में एक व्यक्ति चालक सीट पर तथा दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठा है। दोनों ने हम पुलिस वालों को देखकर गाड़ी स्टार्ट कर भागने का प्रयास किया कि वही पर समय 17:10 पी०एम० पर मय सीलो कार उपरोक्त के दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी, तो चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मालिक हुसैन बताया जिसके कब्जे से एक हरे रंग के ब्लैडर में करीब 10 ली० नकली मिलावटी जहरीली शराब बरामद हुई। बरामद शराब खुद सूंघा व हमराही कर्मचारीगण को सुंघाया तो नकली मिलावटी शराब है। बरामद शराब को तथा सीलो कार के कागजात तलब किये, तो नहीं दिखा सके तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम आले हसन पुत्र मालिक हुसैन बताया। दोनों ने अपनी गलती पर माफी मांगते हुए बताया कि हम लोग चोरी की गाड़ी सस्ती खरीदकर असली नम्बर प्लेट मिटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर महंगी कीमत में बेच देते हैं। अभियुक्त से बरामद सीलो कार को कब्जे पुलिस में लिया गया तथा बरामद शराब को कब्जे में लेकर फर्द मुहर किया गया। मुल्जिमान का जुर्म धारा 60 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 व 420 भा०दं०सं० व 41/102 दं०प्र०सं० व 411 भा०दं०सं० की हद को पहुंचता है, जो धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी दण्डनीय है, दोनों को उनके जुर्म से अवगत करा कर हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद व गिरफ्तारी होने जाने वाले जनता के लोगों को गवाही के लिए कहा तो कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द उसके द्वारा लिखकर तैयार की गई। गवाही हमराहन करायी गयी। फर्द की नकल दोनों की सहमति से मालिक हुसैन को दी गयी। अभियुक्त के अपराध के मुताबिक उसके द्वारा दोनों के विरुद्ध उसी दिन गैंग चार्ट तैयार किया गया, जिसे उच्च अधिकारीगण से अग्रसारित करा कर

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

जिलाधिकारी महोदय एटा से अनुमोदित कराया गया, जो पत्रावली पर कागज सं० 5क उसके हस्ताक्षर व हस्तलेख में है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मुकदमा उसके द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर पंजीकृत कराया था, जो पत्रावली पर टाइपशुदा चिक एफ०आई०आर० संलग्न है, कागज सं० 3/1 व 3/2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जो एच०एम० गोविन्द द्वारा तैयार की गई है।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसने गैंगचार्ट बगैर अप्रूब्ड हुए व बिना बने मुल्जिमानों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखाया था तथा गैंगस्टर एक्ट में ही गिरफ्तारी के बाद ही चालान किया था। वह शराब नहीं पीता है। उसने किसी शराब की फैक्ट्री में कभी काम नहीं किया है। वह सूंघ के नहीं बता सकता की कौन सी शराब जहरीली है और कौन सी सादा है। यह कहना सही है कि उसकी जानकारी में ये तथ्य नहीं आया की। बरामद कार चोरी की है, लेकिन अभियुक्त द्वारा गाड़ी के कागजात मौके पर नहीं दिखाया गया, इसलिए उसने गाड़ी चोरी की समझी थी। इस घटना से पूर्व इन अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया था। ये दोनों मुल्जिम आपस में बाप–बेटे हैं। घटना के दिन अभियुक्त के पास कबाडे का लाइसेन्स था या नहीं, उसे ज्ञात नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने फर्जी कारगुजारी दिखाने के लिए फर्जी घटना दिखायी हो और अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखाया है।

14– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–2 उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह** परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15/11/2009 को थाना कोतवाली देहात में बतौर एच०एम० के पद पर तैनात रहे। उस दिन थानाध्यक्ष इन्द्रेश कुमार भदौरिया थाना कोतवाली देहात एटा द्वारा गैंगचार्ट के दाखिला व फर्द बरामदगी एक अदद सीलो कार व 10–10 लीटर नकली जहरीली शराब व दो गिरफ्तारी अभियुक्त मालिक हुसैन व आले हसन के विरुद्ध अपराध सं०–757/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम मालिक हुसैन व अ०सं०–758/2009 व 759/2009 एवं 760/2009 बनाम मालिक हुसैन व आले हसन (2 नफर) व 2/3 गैंगस्टर एक्ट फर्द के आधार पर चिक एफ०आई०आर० अ०सं०–300/2009 को चिक कम्प्यूटर पर टाइप की थी, जिस पर प्रभारी/थानाध्यक्ष इन्द्रेश कुमार भदौरिया द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। जो चिक एफ०आई०आर० पत्रावली पर 9क/1 व 2 संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। कायम मुकदमा का इन्द्राज जी०डी० नं०–44 समय 19:15 बजे दिनांक 15–11–2009 को असल के साथ कार्बन लगाकर तैयार की थी, जिसकी फोटो स्टेट पत्रावली में संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। असल जी०डी० नष्ट हो गयी है, फोटो स्टेट पर प्रदर्श क–3 डाला गया। असल जी०डी० नष्ट हो गयी है, उसकी रिपोर्ट एस०एस०पी० कार्यालय को दाखिल कर दी है।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि इस मुकदमें की एफ०आई०आर० जिस दिन लिखी थी, उसी दिन गैंगचार्ट बनाना प्रारम्भ हुआ। यह कहना सही है कि अ०सं०–757/2009, 758/2009, 759/2009, 760/2009 जो कि गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित था। एक ही किता हुआ था। यह कहना सही है कि धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें का उल्लेख लाल पेन्सिल से अलग से किया गया है। चिक एफ०आई०आर० में कम्प्यूटर के प्रथम पृष्ठ पर अंकित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० पहले किता हुई और गैंगचार्ट बाद में बना। यह कहना सही है कि अ०सं०–757/2009, 758/2009, 759/2009 थाना कोतवाली देहात में कोई आरोप पत्र नहीं लगा था। यह कहना गलत है कि उसने एस०ओ० थाना के कहने पर गलत गैंगस्टर की एफ०आई०आर० लिखी है।

16– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०–3 विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.11.2009 को वह थाना कोतवाली देहात पर बतौर एस०एस०आई० तैनात रहे थे। उस दिन सी०ओ० नगर के आदेशानुसार अ०सं०–757/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम व अ०सं०–758/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम अली हसन व अ०सं० 759/2009 धारा 420, 272, 273 भा०दं०सं० बनाम मालिक हुसैन आदि अ०सं० निल/2009 धारा 41/102 दं०प्र०सं० बनाम मालिक हुसैन आदि, अ०सं०–760/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना की, जिसका पर्चा नं० 2 उसके द्वारा किता किया गया, जिसमें वादी इन्द्रेश भदौरिया बीमार होने की वजह से उनका बयान नहीं लिया जा सका। बयान फर्द गवाह अब्दुल समद व कां० सुरेन्द्र सिंह फर्द गवाह, थाना कोतवाली देहात पर मौजूद मिले, जिनका बयान लिया। दिनांक

06.12.2009 को पर्चा नं० 3 किता किया, जिसमें इन्द्रेश भदौरिया मिले, जिनको साथ लेकर निरीक्षण घटना स्थल किया तथा नक्शा नजरी उसके द्वारा तैयार किया गया। नक्शा नजरी उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जो पत्रावली पर कागज सं० 7क असल संलग्न है व इंडेक्स दर्ज है, बलिहाज मौका मुआयना सही है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 08.12.2009 को पर्चा नं० 4 किता किया, जिसमें जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी रिपोर्ट संलग्न नकल कर सी०डी० की गयी। दिनांक 22.12.2009 को पर्चा नं० 5 किता किया, जिसमें जिसमें बरामद जहरीली शराब परीक्षण हेतु व कां० प्रवीन कुमार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने का विवरण है। दिनांक 23.12.2009 को संबंधित वाहन UP 81F 9198 की आर०सी० एवं बीमा के कागजात की जांच आर०टी०ओ० ऑफिस से राजेन्द्र कुमार अग्रवाल से की गयी, जो वैध पाये गये, जिसका विवरण पर्चा नं० 6 में किया गया। दिनांक 29.12.2009 को वादी इन्द्रेश भदौरिया का बयान थाना कोतवाली देहात पर जाकर लिया। जिन्होंने फर्द बरामदगी और माल बरामदगी नाजायज जहरीली शराब व गाड़ी संख्या UP81F 9128 को अभियुक्त आलेहसन व मालिक हसन से बरामद किये जाने का बयान लिया व अपमिश्रित शराब बेचकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये गैंग बनाकर कार्य करते हैं, इसलिये गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया। इसलिये गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करना बताया गया था। दिनांक 13.01.2010 को अभियुक्त से फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी, नाजायज शराब से पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये नामजद अभियुक्त मालिक हुसैन पुत्र रंभू व आले हसन पुत्र मालिक हुसैन निवासी शेखान कस्बा व थाना निधौलीकला के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम व 420, 272, 273 भा०दं०सं० व धारा 41/102 दं०प्र०सं० व धारा 414 भा०दं०सं० व 2/3 गैंगस्टर एक्ट के पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये अलग–अलग आरोप पत्र संख्या 15, 16, 17, 18 निल दिनांक 13.01.2010 को न्यायालय प्रेषित किये। जो गैंगस्टर का आरोप पत्र संख्या 18/2010 दोनों मुल्जिमानों के विरुद्ध पत्रावली पर कागज सं० 3अ अ०सं०–760/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात का आरोप पत्र संलग्न है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया तथा अभियोजन स्वीकृति तत्कालीन एस०एस०पी० आर०के चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु दिनांक 25.01.2010 को दी गयी थी। जो टाइपशुदा पत्रावली पर कागज सं० 6अ असल संलग्न है, वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। जिनका विवरण एस०सी०डी०–1, 2, 3 में किया गया।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० पढ़ी थी। गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० में गैंगस्टर के अलावा और चार मुकदमें लिखे गये थे। सभी की चिक एक साथ किता हुयी थी। वह नहीं बता सकता कि इनमें से कितने मुकदमे छूट गये। अ०सं०–759/2009 छूट चुका है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मालिक हुसैन बैठा था। उसके पास शराब रखी थी। मालिक हुसैन का देहांत हो गया है। उसने गैंगचार्ट का अवलोकन किया था। गैंगचार्ट में पांचवा मुकदमा इसी गैंगस्टर एक्ट का था, उचित था।

प्रश्न – गैंगस्टर एक्ट में पहले गैंगचार्ट बनता है या एफ०आई०आर० होती है।

उत्तर – गैंगचार्ट के आधार पर एफ०आई०आर० होती है।

यह कहना सही है कि इस प्रकरण में पहले गैंगचार्ट बना फिर उसके बाद एफ०आई०आर० हुयी। इस मामले में गैंगचार्ट में बिना एफ०आई०आर० किता हुये अपराध संख्या अंकित हो गया। धारा 41/102 दं०प्र०सं० पर कोई क्राइम नंबर नहीं पड़ा। उसने विवेचना के दौरान यह जानकारी की थी कि गाड़ी का मालिक कौन है और गाड़ी किसके नाम है। गाड़ी का मालिक राजेन्द्र कुमार अग्रवाल हैं। गैंगचार्ट में दर्शित सभी मुकदमों का विवेचक वह ही था। सीलो कार की चोरी होने के बारे में किसी ने रिपोर्ट की, उसे जानकारी नहीं है। यह गाड़ी एक साल पुरानी थी। इस गाड़ी का इश्योरेंस दिनांक 18.02.2009 तक वैध है। गाड़ी दिनांक 15.01.2011 को पकड़ी गयी थी। यह गाड़ी रजिस्ट्रेशन और बीमा का समय समाप्त होने के बाद पकड़ी गयी थी। मालिक हुसैन व आले हुसैन कबाड़े का काम करते थे। इनके पास कबाड़े की दुकान का लाइसेंस था। क्राइन नं० निल में गाड़ी चोरी होने बाबत बाद में चोरी कहाँ से हुयी, किसकी गाड़ी थी, के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। यह कहना सही है कि मु०अ०सं०–759/2009 में बिना एफ०एस०एल० की रिपोर्ट से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। यह कहना गलत है कि उसने झूंठी विवेचना की है तथा गलत तरीके से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

18– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्त का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्त पर जाल साजी करके जनता को धोखा देकर नकली शराब बनाकर उसे असली के तौर पर बिक्री कर राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०–1 लगायत पी०डब्लू०–3 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्त द्वारा उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–2 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

19– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है, न ही वह किसी गैंग का सदस्य है, न ही उसका समाज में कोई भय व आतंक है, उसके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। इस मामलें में पहले एफ०आई०आर० दर्ज हुयी है, उसके बाद गैंगचार्ट तैयार किया गया है तथा गैंगचार्ट में इस अपराध संख्या का भी उल्लेख है जो यह दर्शित करता है कि पुलिस द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का दुरूपयोग कर झूॅठा मामला तैयार किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्त द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्त अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

20– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

21– इस प्रकरण के निराकरण के लिए मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

i– क्या अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है और अभियुक्त द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हैं ?

ii– क्या अभियुक्त का गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित अपराधों को कारित करने का उद्देश्य समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना था ?

–निष्कर्ष–

22– प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के उपरान्त साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एवं उचित क्रमबन्धन की दृष्टि से उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

23– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त आले हसन के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित अ०सं०–758/2009, धारा 60 आबकारी अधिनियम, अ०सं०–759/2009, धारा 272,273,420 भा०दं०सं०, अ०सं० निल/2009, धारा 41/102 दं०प्र०सं० व धारा 411 भा०दं०सं०, अ०सं०–760/2009, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम मालिक हुसैन एवं आले हसन के आधार पर की गयी थी।

24– उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा–3(1) के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

i. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।

ii. अभियुक्त द्वारा भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हो।

iii. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–

(अ)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या

(ब)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन०डी०पी०एस० एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं0 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा०दं०सं० की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

25– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एस०ओ० इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–1) के रूप में परीक्षित कराया है, जोकि उक्त प्रकरण के वादी है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए गैंगचार्ट को प्रदर्श क–1 के रूप में अपने हस्ताक्षर से साबित किया है तथा उपरोक्त मुकदमा की चिक एच०एम० गोविन्द द्वारा तैयार करना बताया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त के पास क्या–क्या सम्पत्ति पायी गयी तथा उनका समाज में किस प्रकार भय व आतंक था। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–3 में कथन किया है कि उसने गैंगचार्ट बगैर अप्रूब्ड हुए व बिना बने मुल्जिमानों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखाया था तथा गैंगस्टर एक्ट में ही गिरफ्तारी के बाद ही चालान किया था। यह कहना सही है कि उसकी जानकारी में ये तथ्य नहीं आया कि बरामद कार चोरी की है, लेकिन अभियुक्त द्वारा गाड़ी के कागजात मौके पर नहीं दिखाया गया, इसलिए उसने गाड़ी चोरी की समझी थी। इस घटना से पूर्व इन अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया था। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि

अभियुक्त से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

26– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक गोविन्द सिंह (पी०डब्लू०–2) के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए फर्द बरामदगी एवं गैंगचार्ट के आधार पर एफ़०आई०आर० अ०सं०–757/2009, 758/2009, 759/2009, 760/2009 को प्रदर्श क–2 एवं जी०डी० रपट नं०–44 को प्रदर्श क–3 के रूप में स्वयं के लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–2 पर कथन किया है कि इस मुकदमें की एफ०आई०आर० जिस दिन लिखी थी, उसी दिन गैंगचार्ट बनाना प्रारम्भ हुआ। यह कहना सही है कि अ०सं०–757/2009, 758/2009,759/2009,760/2009 जो कि गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित था, एक ही किता हुआ था। यह कहना सही है कि धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें का उल्लेख लाल पेन्सिल से अलग से किया गया है। चिक एफ०आई०आर० में कम्प्यूटर के प्रथम पृष्ठ पर अंकित नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० पहले किता हुई और गैंगचार्ट बाद में बना। उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है जो कि अभियुक्त को गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दोषारोपित करता है।

27– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (पी०डब्लू०–3) को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण का विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए घटनास्थल की नक्शा–नजरी को प्रदर्श क–4, आरोप पत्र अ०सं०–760/2009 को प्रदर्श क–8 के रूप में अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अभियोजन स्वीकृति आदेश को प्रदर्श क–6 के रूप में तत्कालीन एस०एस०पी० श्री आर० के० चतुर्वेदी के हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–2 पर कथन किया है कि यह कहना सही है कि इस प्रकरण में पहले गैंगचार्ट बना फिर उसके बाद एफ०आई०आर० हुयी। इस मामले में गैंगचार्ट में बिना एफ०आई०आर० किता हुये अपराध संख्या अंकित हो गया। धारा 41/102 दं०प्र०सं० पर कोई क्राइम नंबर नहीं पड़ा। उसने विवेचना के दौरान यह जानकारी की थी कि गाड़ी का मालिक कौन है और गाड़ी किसके नाम है। गाड़ी का मालिक राजेन्द्र कुमार अग्रवाल हैं। गैंगचार्ट में दर्शित सभी मुकदमों का विवेचक वह ही था। सीलो कार की चोरी होने के बारे में किसी ने रिपोर्ट की, उसे जानकारी नहीं है। मालिक हुसैन व आले हुसैन कबाड़े का काम करते थे। इनके पास कबाड़े की दुकान का लाइसेंस था। क्राइन नं० निल में गाड़ी चोरी होने बाबत बाद में चोरी कहाँ से हुयी, किसकी गाड़ी थी, के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला।

28– इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 का अनुमोदन दिनांक 16–11–2009 को हुआ है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 दिनांक 15–11–2009 को पंजीबद्ध हुयी है। इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी आरोपी या गैंग पर कार्यवाही करने के लिए सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेज गैंगचार्ट होता है। इस गैंगचार्ट के अनुमोदन में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक और प्रशासनिक प्रहरी की तरह होती है। जिला मजिस्ट्रेट की सबसे पहली और कानूनी जिम्मेदारी यह है कि वह पुलिस द्वारा भेजे गये गैंगचार्ट पर आंख बंदकर हस्ताक्षर न करें। पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गयी साम्रगी जैसे मूल अपराध की एफ०आई०आर० की कॉपी, चार्जशीट एवं अन्य दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात ही गैंगचार्ट का अनुमोदन किया जाना चाहिए। यदि दस्तावेजों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही के आधार बन रहे हो तो जिला मजिस्ट्रेट को इस तथ्य पर अपनी व्यक्तिगत और स्पष्ट संतुष्टि दर्ज करनी होती है। यदि जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट है तो गैंगचार्ट पर अपनी टिप्पणी के साथ उसे हस्ताक्षर करना होता है। इसके बाद ही प्रकरण में एफ०आई०आर० दर्ज होनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमोदन किये जाने का उद्देश्य चैक एवं बैलेन्स के रूप में है, जिससे कि इस कठोर कानून का दुरूपयोग पुलिस द्वारा न किया जा सके और किसी भी नागरिक के खिलाफ कार्यवाही से पहले एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट या संस्तुति को यान्त्रिक (Mechanically) रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए। गैंगचार्ट पर बिना सोचे समझे केवल "अनुमोदित" (Approved) लिख देना विधिक रूप से अनुमन्य नहीं है। प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 दिनांक 16–11–2009 को अनुमोदित हुआ है। इस प्रकरण में गैगचार्ट प्रदर्श क–1 पर जिला मजिस्ट्रेट के

द्वारा मात्र **"अनुमोदित"** लिखकर हस्ताक्षर किया गया है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी कोई टीप अंकित नहीं की गयी कि उनके द्वारा किस आधार पर गैंगचार्ट का अनुमोदन किया गया और किन–किन दस्तावेजों का अनुमोदन से पूर्व अवलोकन किया गया। इस प्रकार गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 के अवलोकन से प्रकट है कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यान्त्रिक रूप से गैंगचार्ट का अनुमोदन बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये किया गया है, जिस कारण से गैंगचार्ट का अनुमोदन सम्यक रूप से किया जाना साबित नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 इन्द्रेश कुमार भदौरिया, थानाध्यक्ष, कोतवाली देहात, एटा के द्वारा दिनांक 15–11–2009 को तैयार किया गया था और उसका अनुमोदन दिनांक 16–11–2009 को हुआ है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15–11–2009 को पंजीकृत हो गया था। जब गैंगचार्ट दिनांक 16–11–2009 को अनुमोदितशुदा हुआ तब प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 दिनांक 15–11–2009 दर्ज किया जाना कानूनी प्रक्रिया के विपरीत है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 तैयार करने वाले प्राधिकारियों द्वारा अपने मस्तिष्क का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया है।

29– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–5 पर दिनांक 10–02–2010 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत समुचित विवेचना किये जाने हेतु **शासनादेश संख्या–137 प्र०स0/6–पु०–11–2003–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004** प्रचलित था। उक्त शासनादेश के **पैरा नं०–5** में स्पष्टतः उल्लेख है कि किसी गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए, उसके विरूद्ध **केवल उन्हीं मामलों को आपराधिक सूची में सम्मिलित मानना चाहिये, जिन मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जिन मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है या न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, उसे आपराधिक विवरण में सम्मिलित न किया जाये।** इस प्रकरण में जिन अपराधों का उल्लेख गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में है, वो अपराध भी उसी दिन पंजीबद्ध हुए हैं, जिस दिन इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। इस प्रकार प्रचलित नियमों का उल्लंघन कर गैंगचार्ट तैयार किया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। उक्त शासनादेश के **पैरा नं०–07** में लेख है कि **इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अनिवार्यतः दूसरे थाने के प्रभारी द्वारा की जानी चाहिए।** इस प्रकरण में विवेचना एस०एस०आई० जसवन्त सिंह एवं निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के द्वारा की गयी है। तत्समय वे थाना कोतवाली देहात में ही पदस्थ थे। इस प्रकार इस प्रकरण में विवेचना भी ऋजु नहीं है।

30– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (पी०डब्लू०–3) एवं अभियोजन साक्षी निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–1) के द्वारा न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उक्त साक्ष्य से ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त की संलिप्तता को प्रकट करता हो। अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त निरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (पी०डब्लू०–3) द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–2 पर यह स्वीकार किया गया है कि इस प्रकरण में पहले गैंगचार्ट बना फिर उसके बाद एफ०आई०आर० हुयी। इस मामले में गैंगचार्ट में बिना एफ०आई०आर० किता हुये अपराध संख्या अंकित हो गया। सीलो कार की चोरी होने के बारे में किसी ने रिपोर्ट की, उसे जानकारी नहीं है। मालिक हुसैन व आले हुसैन कबाड़े का काम करते थे। इनके पास कबाड़े की दुकान का लाइसेंस था। क्राइन नं० निल में गाड़ी चोरी होने बाबत बाद में चोरी कहाँ से हुयी, किसकी गाड़ी थी, के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला। अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त एस०ओ० इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–1) जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–3 में कथन किया है कि उसने गैंगचार्ट बगैर अप्रूब्ड हुए व बिना बने मुल्जिमानों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखाया था तथा गैंगस्टर एक्ट में ही गिरफ्तारी के बाद ही चालान किया था। यह कहना सही है कि उसकी जानकारी में ये तथ्य नहीं आया कि बरामद कार चोरी की है, लेकिन अभियुक्त द्वारा गाड़ी के कागजात मौके पर नहीं दिखाया गया, इसलिए उसने गाड़ी चोरी की समझी थी।

31– इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षीगण इन्द्रेश कुमार भदौरिया (पी०डब्लू०–1), उपनिरीक्षक गोविन्द

सिंह (पी०डब्लू०–2) एवं देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (पी०डब्लू०–3) के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्त ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त की है और भौतिक व आर्थिक रूप से अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित अपराध से कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की है।** भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति की सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्त के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही। इस प्रकरण में अभियुक्त के पास किसी भी चल और अचल सम्पत्ति का नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्त किसी संगठित गिरोह के सदस्य थे और उनके द्वारा आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में दर्शित अपराध कारित किया गया है।

32– इसके अतिरिक्त प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अभियुक्त को गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित मुकदमा **अ०सं०–759/2009, धारा 420,272,273 भा०दं०सं० में दोषमुक्त** किया जा चुका है, जिसके निर्णय की प्रतिलिपि पत्रावली में कागज संख्या 70ब/3 लगायत 70ब/11 है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए एच सी 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए०एच०सी० 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्त को उन मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Farhana Vs. State of U.P. (2024 SCC OnLine SC 159)** में अवधारित किया गया है कि **"एक बार जब आधारभूत मामला (Base Case) पहले ही निरस्त किया जा चुका हो या अभियुक्त उसमें दोषमुक्त हो चुका हो तो गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत आक्षेपित कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रक्रिया पोषणीय नहीं है और वह निरस्त किये जाने योग्य है।"** इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित मुकदमा **अ०सं०–759/2009**, धारा 420,272,273 भा०दं०सं० में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है।

33– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के पास अपराध से सृजित किसी भी चल एवं अचल सम्पत्ति होने के तथ्य को साबित नहीं किया जा सका है। अभियोजन द्वारा यह भी साबित नहीं किया जा सका है कि अभियुक्त से लोक व्यवस्था को खतरा था। विवेचना में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्त का समाज में भय व्याप्त था और अभियुक्त की उपस्थिति से लोक शांति खतरे में थी। गैंगचार्ट प्रदर्श क–1 में वर्णित मुकदमा अ०सं०–759/2009, धारा 420,272,273 भा०दं०सं० में दोषमुक्त में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में विधिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह दुरूपयोग किया जाकर गैंगचार्ट तैयार जाकर पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरोक्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge, Court No.03, Etah.

–आदेश–

अभियुक्त **आले हसन** को **जी०एस०टी० संख्या–124/2010, उ०प्र० राज्य** बनाम **मालिक हुसैन आदि,** मुकदमा **अपराध संख्या–760/2009,** थाना **कोतवाली देहात,** जिला एटा के प्रकरण में उसके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक 07–08–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 07–08–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690